आई. एल. आर. पंजाब और हरियाणा

2022(2)

1986

N.S.Shekhawat से पहले, J

1. सी. आर. ए.-एस.-1472-एस. बी.-2003 नरेश कुमार अपीलार्थी

बनाम

हरियाणा राज्य उत्तरदाता 2. सी. आर. ए-एस-1561-एस. बी.-2003

रमेश कुमार @राज-अपीलार्थी

बनाम

हरियाणा राज्य-उत्तरदाता सी. आर. ए.-एस.-1569-एस. बी.-2003

पवन कुमार-अपीलार्थी

बनाम

हरियाणा राज्य-उत्तरदाता

30 नवंबर, 2022

भारतीय दंड संहिता, 1860 एस. 391, 395 और 397-डकैती-पाँच से कम व्यक्ति-निचली अदालत द्वारा आई. पी. सी. की धारा 395 और धारा 397 के तहत दोषी ठहराए गए आरोपी-दो अन्य सह-अभियुक्तों को अदालत ने बरी कर दिया-कोई निष्कर्ष दर्ज नहीं किया गया है कि इन अभियुक्तों ने डकैती करने के लिए कई अन्य लोगों के साथ हाथ मिलाया था-निचली अदालत ने एस. एस. के तहत अपीलार्थियों को गलती से दोषी ठहराया। 395/397 आई. पी. सी. क्योंकि वे पाँच से कम व्यक्ति थे, जो आई. पी. सी. की धारा 391 के आवश्यक तत्वों के खिलाफ है। माना गया कि यह अच्छी तरह से तय किया गया है कि आई. पी. सी. की धारा 391 के तहत परिभाषित डकैती के अपराध की सजा दर्ज करने के लिए पांच या अधिक व्यक्ति होने चाहिए। इस तरह के निष्कर्षों के अभाव में, एक आरोपी को डकैती के अपराध के लिए दोषी नहीं ठहराया जा सकता है। तत्काल मामले में, ऐसा कोई निष्कर्ष दर्ज नहीं किया गया है कि इन अपीलकर्ताओं ने डकैती करने के लिए कई अन्य लोगों के साथ हाथ मिलाया था और दो अन्य सह-अभियुक्तों को अदालत ने बरी कर दिया था। यहां तक कि शुरुआत में तीन अज्ञात व्यक्तियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई थी और चौथे व्यक्ति की संलिप्तता संदिग्ध है। नतीजतन, आई. पी. सी. की धारा 395/397 के तहत तीन अपीलार्थियों की दोषसिद्धि गलत है।

(पैरा 11) ने आगे अभिनिर्धारित किया कि किसी दिए गए मामले में, हालांकि, ऐसा हो सकता है कि नरेश कुमार बनाम हरियाणा राज्य

1987

( एन. एस. शेखावत, जे)

पाँच या अधिक व्यक्ति हो सकते हैं और पाँच या अधिक व्यक्तियों का तथ्य या तो विवादित नहीं है या स्पष्ट रूप से स्थापित है, लेकिन न्यायालय उन सभी व्यक्तियों की पहचान के रूप में एक निष्कर्ष दर्ज करने में सक्षम नहीं हो सकता है जिनके बारे में कहा जाता है कि उन्होंने डकैती की है, और उन्हें दोषी ठहराने में सक्षम नहीं हो सकता है और यह देखते हुए उन्हें बरी करने का आदेश दे सकता है कि उनकी पहचान स्थापित नहीं है। ऐसे मामले में, पाँच से कम व्यक्तियों-या एक व्यक्ति को भी दोषी ठहराया जा सकता है। लेकिन इस तरह के निष्कर्ष के अभाव में, पांच से कम व्यक्तियों को डकैती के अपराध के लिए दोषी नहीं ठहराया जा सकता है।

(पैरा 17)

परीक्षण पहचान परेड-चार अज्ञात व्यक्तियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई-लगभग एक साल के अंतराल के बाद आरोपी को गिरफ्तार किया गया-कोई परीक्षण पहचान परेड आयोजित नहीं की गई-प्राथमिकी में भौतिक विवरण का उल्लेख नहीं किया गया-पीडब्ल्यू ने चार साल के अंतराल के बाद पहली बार अदालत में आरोपी की पहचान की और इस तरह की पहचान कानून की नजर में अर्थहीन है-जांच अधिकारी ने स्वीकार किया कि आरोपी की कोई परीक्षण पहचान परेड नहीं की गई-तत्काल मामले में आरोपी की पहचान साबित करने के लिए कोई सबूत नहीं था। अभिनिर्धारित किया गया कि ऐसी स्थिति में, जब अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया था, तो अभियोजन पक्ष के लिए परीक्षण पहचान परेड आयोजित करना अनिवार्य था। अदालत में घटना के चार साल बाद पहली बार गवाहों द्वारा आरोपी की पहचान करना अर्थहीन है। अभियुक्त को बरी कर दिया गया। अपील की अनुमति दी गई।

अनुराग अरोड़ा और विशाल शारदा, सीआरए-एस-1561-एसबी-2003 में अपीलार्थी (ओं) के अधिवक्ता। शीनू सुरा, डीएजी, हरियाणा।

N.S.SHEKHAWAT, J (1) यह निर्णय तीन अपीलों का निपटारा करेगा, अर्थात सी. आर. ए.-एस.-1472-एस. बी.-2003 जिसका शीर्षक है 'नरेश कुमार बनाम। हरियाणा राज्य ', सी. आर. ए.-एस-1561-एस. बी.-2003' रमेश कुमार @राज बनाम। हरियाणा राज्य 'और सी. आर. ए.-एस-1569-एस. बी.-2003' पवन कुमार बनाम। हरियाणा राज्य, जैसा कि विद्वान अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश (ए. डी. एच. ओ. सी.), फास्ट ट्रैक कोर्ट (आई. डी. 2), फरीदाबाद द्वारा पारित दोषसिद्धि और सजा के आदेश दिनांक (आई. डी. 1) के एक सामान्य विवादित फैसले से उत्पन्न होता है, जिसके तहत उपरोक्त अपीलों में अपीलकर्ताओं को आई. पी. सी. की धारा 395 और 397 के तहत दोषी ठहराया गया था और आई. एल. आर. पंजाब और हरियाणा को सजा सुनाई गई थी।

2022(2)

1988

प्रत्येक को पांच साल की अवधि के लिए कठोर कारावास का सामना करना पड़ता है और आई. पी. सी. की धारा 395 के तहत एक डिफ़ॉल्ट शर्त के साथ Rs.2000 का जुर्माना भी देना पड़ता है। उन्हें आई. पी. सी. की धारा 397 के तहत सात-सात साल के कारावास की सजा सुनाई गई। दोनों सजाओं को एक साथ चलाने का आदेश दिया गया था। (2) प्रारंभ में, इस मामले में प्राथमिकी, यानी आई. पी. सी. की धारा 392,394,411 और 397 के तहत आई. पी. सी. की धारा 1319 दर्ज की गई थी, जिसमें पवन कुमार, नरेश कुमार और रमेश कुमार उर्फ राज (वर्तमान में तीन अपीलों में अपीलकर्ता) और दो और आरोपी व्यक्ति अमरजीत और विजय कुमार उर्फ विक्की शामिल थे। इसके अलावा, विवादित फैसले में, आरोपी व्यक्तियों, विजय कुमार उर्फ विक्की और अमरजीत को बरी करने का आदेश दिया गया था, जबकि तीन अपीलार्थियों, रमेश कुमार, पवन कुमार और नरेश कुमार को दोषी ठहराने और सजा देने का आदेश दिया गया था, जैसा कि ऊपर बताया गया है। एफ. आई. आर. Ex.PA/2 श्रीमती द्वारा दर्ज कराई गई थी। राजेश्वर कुमार की पत्नी वर्षा वधावन ने तीन अज्ञात व्यक्तियों के खिलाफ आई. पी. सी. की धारा 392 और 394 के तहत आरोप लगाया कि वह घर संख्या 267, सेक्टर 29, फरीदाबाद की निवासी थी और अपने बच्चों के साथ घर पर रहती थी। उनके पति दिल्ली में A.E.P.C में काम कर रहे थे। वह सुबह जल्दी अपने कार्यालय जाता था और शाम को वापस आता था। उस दिन, वह अपने दो बच्चों, लगभग 13 साल के प्रणव और लगभग 06 साल की यशोधरा को घर पर छोड़ने के बाद खाता खोलने के लिए पंजाब नेशनल बैंक गई थी। वह घर वापस आ गई क्योंकि वह उस दिन खाता नहीं खोल सकी थी। घर लौटने के बाद वह अपने बच्चों के साथ टीवी देख रही थी। दोपहर करीब ढाई बजे, तीन लोग दरवाजा खुला देखकर घर में घुसे और वे ड्राइंग रूम से आए। वे लगभग 20/25 वर्ष के थे, मध्यम ऊंचाई वाले पैंट और शर्ट पहने हुए थे और एक व्यक्ति के पास मीट कटर (चाकू) था और दो और व्यक्ति जो पैंट और शर्ट भी पहने हुए थे, और उनके पास 'DAAV' (पेड़ काटने के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला चाकू) भी था। वहाँ पहुँचकर उन्होंने उसके बड़े बेटे को पकड़ लिया और पूछा कि क्या यह घर भारद्वाज का है। इस पर उनके बेटे ने जवाब दिया कि यह घर भारद्वाज का नहीं है। वह दूसरे दरवाजे से भागना चाहती थी लेकिन दोनों अभियुक्तों ने उसे रोक दिया और कहने लगे कि वे नकदी लेने आए हैं और वह उन्हें दे और उसके बाद वे चले जाएंगे। उन्होंने उसे धमकी दी कि अगर उसने शोर मचाया तो वे कुछ करेंगे। वे उसके द्वारा पहनी गई चेन को खींचना चाहते थे, हालाँकि, उसने बिना किसी प्रतिरोध के खुद ही चेन दे दी। इस घटना के दौरान, ड्राइंग रूम में प्रवेश करने वाले व्यक्ति ने उसके बेटे के हाथों में मीट कटर चाकू से वार किया और उसके बेटे के बाएं हाथ का अंगूठा काट दिया। वह और उसके बच्चे बंधे हुए थे और नरेश कुमार बनाम हरियाणा राज्य थे।

1989

( एन. एस. शेखावत, जे)

(5) आरोप साबित करने के लिए अभियोजन पक्ष ने 12 गवाहों से पूछताछ की। (6) पीडब्लू1 वर्षा वधावन तत्काल मामले में शिकायतकर्ता थीं और उन्होंने पूरे संस्करण को सुनाया जैसा कि उन्होंने प्राथमिकी Ex.PA/2 में उल्लेख किया था। हालांकि, उसने बताया कि आरोपी नरेश कुमार मीट कटर (डीएएवी) के साथ आया था और यह आरोपी रमेश कुमार उर्फ राज था, जो ड्राइंग रूम से आया था और मीट कटर भी खा रहा था। पवन कुमार आरोपी रमेश कुमार उर्फ राज के साथ भी था। पवन कुमार ने घायलों का बायां अंगूठा काट दिया था। अदालत में मौजूद आरोपी अमरजीत को वह नहीं जानती थी और यह आई. एल. आर. पंजाब और हरियाणा हो सकता था।

2022(2)

1990

हो सकता है कि अमरजीत आरोपी उसके घर के बाहर हो। उसने स्वीकार किया कि उसे याद नहीं है कि उसने घर की लॉबी में खड़े दो अभियुक्तों के बारे में पुलिस को बताया था या नहीं। उसने स्वीकार किया कि उसने पुलिस को पूरा घर दिखाया था। जब पुलिस ने उसका बयान दर्ज किया तो उसने पुलिस को आरोपी की पहचान का उल्लेख किया था। उसने आगे कहा कि वह कभी भी पुलिस स्टेशन नहीं गई थी। उसने भले ही आरोपी की पहचान पुलिस में दर्ज करवा ली थी, लेकिन उसने आरोपी की ऊंचाई दर्ज नहीं की थी। उसने सिर्फ आरोपी के रंग, पोशाक और चेहरे आदि का उल्लेख किया था। उसने उन वस्तुओं को देखा था, जो उसके पति द्वारा आरोपी से बरामदगी के समय लाए गए थे। उसे याद नहीं था कि कौन से लेख थे। उसने स्वीकार किया कि उसने अभियुक्तों को उनकी गिरफ्तारी के बाद देखा था। उसने आरोपी को पुलिस स्टेशन में देखा, लेकिन यह नहीं बता सकी कि उसने उन्हें किस पुलिस स्टेशन में देखा था। अभियुक्तों के चेहरे खुले थे और उनका चेहरा बंद नहीं था। इसी तरह, पीडब्लू2 मास्टर पर्नव, जिन्होंने भी अभियोजन पक्ष के मामले का समर्थन किया। कथित गवाह का उसके द्वारा दिए गए पहले के बयान के साथ विधिवत सामना किया गया था, हालांकि, जिरह में, उसने स्वीकार किया कि घटना की तारीख के बाद, आरोपी को उस दिन के अलावा उसे नहीं दिखाया गया था, यानी 06.09.2001। वह यह नहीं बता सके कि वहाँ से चांदी या सोने के गहने लिए गए थे या नहीं। उन्होंने स्वीकार किया कि प्राथमिकी में नामित केवल तीन व्यक्ति और चौथा घटना के बाद आया था और इस तरह यह बयान में दर्ज नहीं किया गया था। पीडब्लू 3 राजेश्वर कुमार को जिरह के लिए वापस बुलाया गया और कहा गया कि चार चूड़ियाँ, दो अंगूठियाँ, चांदी की एक टागरी और एक जोड़ी पजाब (आभूषण), रु। आरोपी रमेश कुमार उर्फ राज के कब्जे से 6000/- रुपये बरामद किए गए। अभियोजन पक्ष ने आई. पी. सी. की धारा 392,397 और 120 के तहत प्राथमिकी संख्या 189 में मामले के पी. डब्ल्यू. 4 ए. एस. आई. जय राम, जो आई. ओ. के रूप में तैनात थे, से पूछताछ की, जहां आरोपी नरेश कुमार, अमरजीत और पवन कुमार उर्फ विक्की को गिरफ्तार किया गया था और उन्हें डबवाली पुलिस स्टेशन की पुलिस के समक्ष अपने खुलासा बयानों का सामना करना पड़ा। उक्त अभियुक्तों ने डबवाली पुलिस थाने के समक्ष यह भी स्वीकार किया कि उन्होंने वर्तमान मामले में भी अपराध किया था। उक्त गवाह ने अपनी जिरह में स्वीकार किया कि उसने स्वतंत्र गवाहों के साथ शामिल होने की कोशिश की, लेकिन पूरी कार्यवाही के समय कोई गवाह शामिल नहीं हुआ। अभियोजन पक्ष ने आगे पीडब्लू5 धरमबीर से पूछताछ की, जो 16.09.1998 पर पुलिस स्टेशन सिटी डबवाली में हेड कांस्टेबल के रूप में तैनात थे। वह अमरजीत और पवन कुमार के खुलासे वाले बयानों का गवाह है। इस स्तर पर, पीडब्लू 3 राजेश्वर कुमार को फिर से केस संपत्ति पेश करने के लिए वापस बुलाया गया और उन्होंने नरेश कुमार बनाम हरियाणा राज्य के समक्ष चूड़ियाँ, टागरी, पजाब (गहने) और दो अंगूठियाँ और एक चेन पेश की।

1991

( एन. एस. शेखावत, जे)

अदालत। हालाँकि, उन्होंने स्वीकार किया कि उनकी पत्नी द्वारा पहनी जाने वाली चूड़ियाँ अदालत में पेश की जाने वाली चूड़ियों से अलग हैं। उन्होंने आगे स्वीकार किया कि उन्होंने चूड़ियों के आकार और वजन का भी खुलासा नहीं किया था। उन्होंने सोने की चेन की बनावट का भी खुलासा नहीं किया, जिसे दिखाया गया है। इन वस्तुओं को पुलिस स्टेशन में दिया गया और इन वस्तुओं को वह फिर से पुलिस स्टेशन ले गया। उन्हें याद नहीं था कि सामान सीलबंद हालत में थे या नहीं। अभियोजन पक्ष ने पीडब्लू 6 एएसआई राम लुभाया से पूछताछ की, जिन्होंने तत्काल मामले में प्राथमिकी दर्ज की थी। अभियोजन पक्ष ने आगे फरीदाबाद के पुलिस अधीक्षक के कार्यालय से अशोक कुमार ड्राफ्ट्समैन से पूछताछ की, जिन्होंने सही सीमांत नोटों के साथ स्केल्ड साइट प्लान तैयार किया था। अभियोजन पक्ष ने पीडब्लू8 एस. आई. राजबीर सिंह से आगे पूछताछ की, जिन्हें 12.09.1998 पर अमरजीत, विजय कुमार उर्फ विक्की, नरेश कुमार और पवन कुमार के प्रकटीकरण बयान प्राप्त हुए। इसके बाद, उन्होंने अदालत से पेशी वारंट प्राप्त किया और औपचारिक रूप से इस मामले में आरोपी को 03.11.1998 पर गिरफ्तार कर लिया। उसने फिर से आरोपी से पूछताछ की और आरोपी को भी उसकी उपस्थिति में खुलासा करने वाले बयानों का सामना करना पड़ा। उसने स्वीकार किया था कि आरोपी ने घटना स्थल की पहचान कर ली थी। हालाँकि, रमेश कुमार अभियुक्त से केवल 06.11.1998 पर वसूली ज्ञापन Ex.PB के माध्यम से वसूली की गई और आरोपी रमेश कुमार उर्फ राजू से सोने की चार चूड़ियाँ, सोने की चेन, कान की अंगूठियाँ, दो सोने की अंगूठियाँ, एक चांदी की टग्गी (आभूषण) बरामद की गई और लूटी गई सभी संपत्ति केवल रमेश कुमार उर्फ राजू से बरामद की गई। उसने स्वीकार किया कि उसने कभी भी आरोपी की कोई पहचान परेड नहीं की और उसने सिरसा से लूटी गई सारी संपत्ति बरामद कर ली। उन्होंने आगे स्वीकार किया कि उन्होंने वसूली के उद्देश्य से स्वतंत्र गवाहों के साथ शामिल होने की कोशिश की लेकिन कोई भी कार्यवाही में शामिल होने के लिए आगे नहीं आया। इसके अलावा, अभियोजन पक्ष ने सेवानिवृत्त एस. आई. पी. डब्ल्यू. 9 जुथार सिंह से पूछताछ की, जिन्होंने रफ साइट प्लान Ex.PT तैयार किया था और रिकवरी मेमो के माध्यम से 'चूरा' (चाकू) भी अपने कब्जे में ले लिया था और अदालत में उक्त हथियार भी पेश किया था। हालांकि, जिरह में उन्होंने स्वीकार किया कि उन्होंने अदालत में हथियार नहीं देखा था और यह भी स्वीकार किया कि जिस समय हथियार को कब्जे में लिया गया था, उस समय उन्होंने इसे नहीं देखा था। उन्होंने यह भी स्वीकार किया कि उक्त 'चूरा' (चाकू) बाजार में बहुत आसानी से उपलब्ध है। अभियोजन पक्ष ने आगे पीडब्लू 10 एएसआई बाबू राम से जिरह की, जो रमेश कुमार उर्फ राजू, नरेश कुमार, पवन कुमार, विजय कुमार उर्फ विक्की और अमरजीत के खुलासे वाले बयानों के गवाह थे। उन सभी ने घटना स्थल की पहचान की। रमेश कुमार उर्फ राजू आरोपी ने पुलिस दल का नेतृत्व किया और अपने घर से गहने बरामद किए। उक्त गवाह ने जिरह में यह भी कहा कि वह आई. एल. आर. पंजाब और हरियाणा से मिला था।

2022(2)

1992

न्यायालय में पहली बार अभियुक्त। उन्हें याद नहीं था कि वे सभी मुंह बंद कर चुके थे या नहीं। जब उन्होंने उन्हें पहली बार देखा तो उनका चेहरा रूखा नहीं था। इसके अलावा, अभियोजन पक्ष ने पीडब्लू11 जगदीश चंदर से पूछताछ की, जो पुलिस स्टेशन डबवाली में अमरजीत और पवन कुमार द्वारा दिए गए प्रकटीकरण बयान के गवाह थे। इसके अलावा, पीडब्लू 12 डॉ. आर. के. सेठ, अपोलो अस्पताल, नई दिल्ली, जिन्होंने लगभग 13 साल की उम्र में मास्टर पर्णव वधावन का इलाज किया था। (7) साक्ष्य बंद होने के बाद, धारा 313 Cr.P.C के तहत अभियुक्त के बयानों में पूरा मामला/साक्ष्य रखा गया था। पुलिस/अभियुक्त ने जवाब दिया कि वे निर्दोष थे और उन्हें तत्काल मामले में गलत तरीके से फंसाया गया था। यहां तक कि अभियुक्तों ने अपने बचाव में कोई सबूत पेश नहीं करने का विकल्प चुना। (8) अपीलार्थियों के विद्वान वकील ने जोरदार तर्क दिया कि अपीलार्थियों को तत्काल मामले में गलत तरीके से फंसाया गया है। शिकायतकर्ता द्वारा प्राथमिकी में अभियुक्तों का नाम नहीं लिया गया था और शुरुआत में अज्ञात व्यक्तियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई थी और बाद में पांच व्यक्तियों को अलग-अलग भूमिकाएं देकर फंसाया गया था। इसके अलावा, शुरू में यह दिखाया गया था कि डकैती केवल चार व्यक्तियों द्वारा की गई थी, लेकिन बाद में पुलिस ने पांच व्यक्तियों के खिलाफ चालान पेश किया और उनमें से दो को विद्वत निचली अदालत ने बरी कर दिया। इस प्रकार, शेष तीन अभियुक्त पवन कुमार, नरेश कुमार और रमेश कुमार उर्फ राज को आई. पी. सी. की धाराओं 395/397 के तहत अपराधों के लिए दोषी ठहराया जाना कानून की नजर में बुरा है और इसे कायम नहीं रखा जा सकता क्योंकि आई. पी. सी. की धाराओं 395/397 के मूल तत्व पूरे नहीं हुए हैं। इन धाराओं के तहत दोषसिद्धि के लिए आवश्यक व्यक्तियों की न्यूनतम संख्या पाँच या अधिक अभियुक्त हैं और परिणामस्वरूप वर्तमान अपीलार्थियों के खिलाफ कोई मामला नहीं बनता है। इसके अलावा, प्राथमिकी में आरोपी की पहचान का उल्लेख नहीं किया गया था। एफ़. आई. आर. में अभियुक्त की ऊँचाई, वजन, शारीरिक विशेषताओं के बारे में कोई विवरण नहीं था और अंततः शिकायतकर्ता के साथ-साथ उसके बेटे परनव वधावन के सामने पुलिस द्वारा कोई परीक्षण पहचान परेड नहीं की गई थी। शिकायतकर्ता और उसके बेटे परनव वधावन ने लगभग 4 साल की अवधि के बाद आरोपी की पहचान की थी और पहली बार अदालत में पहचान का कोई मूल्य नहीं है। इसके अलावा, शिकायतकर्ता द्वारा पुलिस को गहने के निर्माण, आकार, आकार और संरचना के बारे में कोई विवरण नहीं दिया गया था। यहां तक कि पीडब्लू 3 राजेश्वर कुमार ने भी स्वीकार किया कि सुपरदारी पर उन्हें जो गहने जारी किए गए थे, वे उनके द्वारा अदालत में पेश किए गए गहने से अलग थे और रमेश कुमार उर्फ राज से गहने की बरामदगी के समय एएसआई बाबू राम द्वारा कोई स्वतंत्र गवाह शामिल नहीं किया गया था। इसके अलावा, नरेश कुमार बनाम हरियाणा राज्य के अलावा रिकॉर्ड पर कोई सबूत नहीं था।

1993

( एन. एस. शेखावत, जे)

(10) मैंने पक्षकारों के विद्वान वकील को सुना है और उनकी सक्षम सहायता से मैंने अभिलेख को ध्यान से पढ़ा है। (11) अपीलार्थियों के विद्वान वकील ने जोरदार तर्क दिया कि अभियोजन पक्ष अपने मामले को उचित संदेह की छाया से परे साबित करने में सक्षम नहीं है क्योंकि पूरा मामला या तो इच्छुक गवाहों या आधिकारिक गवाहों पर आधारित है और सबूत की कोई स्वतंत्र पुष्टि नहीं थी। विद्वान वकील ने आगे प्रस्तुत किया कि विद्वत विचारण न्यायालय ने तीन अपीलार्थियों को आई. पी. सी. की धारा 395/397 के तहत गलती से दोषी ठहराया है क्योंकि पांच से कम व्यक्ति हैं, जो आई. पी. सी. की धारा 391 के आवश्यक तत्वों के खिलाफ है। आई. पी. सी. की धारा 391 को निम्नानुसार पुनः प्रस्तुत किया गया हैः -

391. डकैती। —जब पाँच या अधिक व्यक्ति संयुक्त रूप से डकैती करते हैं या करने का प्रयास करते हैं, या जहाँ कुल संख्या में व्यक्ति संयुक्त रूप से डकैती करते हैं या करने का प्रयास करते हैं, और ऐसे कार्य या प्रयास में उपस्थित और सहायता करने वाले व्यक्ति पाँच या उससे अधिक होते हैं, तो ऐसा करने, प्रयास करने या सहायता करने वाले प्रत्येक व्यक्ति को "डकैती" कहा जाता है।

आई. एल. आर. पंजाब और हरियाणा

2022(2)

1994

(13) विद्वान राज्य के वकील ने अपीलार्थियों के विद्वान वकील द्वारा की गई दलीलों का विरोध किया है और प्रस्तुत किया है कि अपीलार्थियों को यह उल्लेख करके दोषी ठहराया गया है कि वे उन व्यक्तियों का हिस्सा थे, जिन्होंने डकैती की थी। हालाँकि, यह न्यायालय अपीलार्थियों के विद्वान वकील द्वारा उठाई गई दलीलों में सार पाता है। यह अच्छी तरह से तय किया गया है कि डकैती के अपराध की सजा दर्ज करने के लिए, पाँच या अधिक व्यक्ति होने चाहिए। इस तरह के निष्कर्षों के अभाव में, एक आरोपी को डकैती के अपराध के लिए दोषी नहीं ठहराया जा सकता है। किसी मामले में, यह हो सकता है कि पाँच या अधिक व्यक्ति हों और पाँच या अधिक व्यक्तियों का तथ्य या तो विवाद में हो या स्पष्ट रूप से स्थापित हो, लेकिन न्यायालय उन सभी व्यक्तियों की पहचान के बारे में निष्कर्ष दर्ज करने में सक्षम नहीं हो सकता है जिनके बारे में कहा जाता है कि उन्होंने डकैती की है और उन्हें दोषी नहीं ठहरा सकता है और यह देखते हुए उन्हें बरी करने का आदेश दे सकता है कि उनकी पहचान स्थापित नहीं है। ऐसे मामले में, पाँच या दो से कम व्यक्तियों को दोषी ठहराया जा सकता है, लेकिन ऐसे निष्कर्षों के अभाव में, पाँच से कम व्यक्तियों को डकैती के अपराध के लिए दोषी नहीं ठहराया जा सकता है। तत्काल मामले में, ऐसा कोई निष्कर्ष दर्ज नहीं किया गया है कि इन अपीलकर्ताओं ने डकैती करने के लिए कई अन्य लोगों के साथ हाथ मिलाया था और दो अभियुक्तों को अदालत ने बरी कर दिया था। यहां तक कि शुरुआत में तीन अज्ञात व्यक्तियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई थी और चौथे व्यक्ति की संलिप्तता संदिग्ध है। नतीजतन, आई. पी. सी. की धारा 395/397 के तहत तीन अपीलार्थियों की दोषसिद्धि स्पष्ट रूप से गलत है। में माननीय सर्वोच्च न्यायालय राज कुमार @राजू बनाम उत्तरांचल राज्य 1 का मामला इस प्रकार हैः -

“16. अध्याय XVII (धारा 378 से 462) संपत्ति के विरुद्ध अपराधों से संबंधित है। धारा 378 से 382 चोरी से संबंधित है। धारा 383 से 389 जबरन वसूली के अपराधों से संबंधित है। धारा 390 से 402 डकैती और डकैती से संबंधित है। धारा 391 डकैती को परिभाषित करती है और यह इस प्रकार हैः “391. डकैती-- जब पाँच या अधिक व्यक्ति संयुक्त रूप से डकैती करते हैं या करने का प्रयास करते हैं, या जहाँ कुल संख्या में व्यक्ति संयुक्त रूप से डकैती करते हैं या करने का प्रयास करते हैं, और ऐसे कार्य या प्रयास में उपस्थित और सहायता करने वाले व्यक्ति पाँच या उससे अधिक होते हैं, तो ऐसा करने, प्रयास करने या सहायता करने वाले प्रत्येक व्यक्ति को "डकैती" कहा जाता है।

1 2008 (11) एस. सी. सी. 709 नरेश कुमार बनाम हरियाणा राज्य

1995

( एन. एस. शेखावत, जे)

19. शक्तू बनाम उत्तर प्रदेश राज्य में अभियोजन पक्ष का मामला यह था कि 15-16 व्यक्ति एक ज्वाला प्रसाद के घर में घुस गए और संपत्ति लूट ली। प्रथम सूचना रिपोर्ट मुखबिर-ज्वाला प्रसाद द्वारा दर्ज की गई थी। सभी अभियुक्तों पर भारतीय दंड संहिता की धारा 395,397 और 412 के तहत दंडनीय अपराधों का आरोप लगाया गया था। निचली अदालत ने एक आरोपी को बरी कर दिया। अपील में, इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने कुछ अन्य अभियुक्तों को बरी कर दिया लेकिन तीन अभियुक्तों (संख्या 1,6 और 7). इस न्यायालय के समक्ष यह तर्क दिया गया कि जैसा कि उच्च न्यायालय ने पाया कि केवल तीन व्यक्तियों ने घटना में भाग लिया था, उन्हें डकैती के लिए दोषी ठहराने में एक त्रुटि थी, क्योंकि डकैती का अपराध तत्काल मामले में आरोप नहीं हो सकता है कि सात या आठ नामित व्यक्तियों के अलावा, पांच या छह अन्य थे जिनके पास आई. एल. आर. पंजाब और हरियाणा थे।

2022(2)

1996

(जोर दिया गया) 21. इस प्रकार यह स्पष्ट है कि डकैती के अपराध की दोषसिद्धि दर्ज करने के लिए पाँच या अधिक व्यक्ति होने चाहिए। इस तरह के निष्कर्ष के अभाव में, एक आरोपी को डकैती के अपराध के लिए दोषी नहीं ठहराया जा सकता है। हालाँकि, किसी मामले में, यह हो सकता है कि पाँच या अधिक व्यक्ति हों और पाँच या अधिक व्यक्तियों का तथ्य या तो विवादित न हो या स्पष्ट रूप से स्थापित हो, लेकिन न्यायालय उन सभी व्यक्तियों की पहचान के रूप में एक निष्कर्ष दर्ज करने में सक्षम नहीं हो सकता है जिनके बारे में कहा जाता है कि उन्होंने डकैती की है और उन्हें दोषी ठहराने में सक्षम नहीं हो सकता है और यह देखते हुए उन्हें बरी करने का आदेश दे सकता है कि उनकी पहचान स्थापित नहीं है। ऐसे मामले में, पाँच से कम व्यक्तियों या एक व्यक्ति को भी दोषी ठहराया जा सकता है। लेकिन इस तरह के निष्कर्ष के अभाव में, पांच से कम व्यक्तियों को डकैती के अपराध के लिए दोषी नहीं ठहराया जा सकता है। तत्काल मामले में, जैसा कि पहले देखा गया था, छह आरोपी थे। उन छह अभियुक्तों में से दो को निचली अदालत ने यह निष्कर्ष दर्ज किए बिना बरी कर दिया कि हालांकि छह व्यक्तियों द्वारा डकैती का अपराध किया गया था, लेकिन दो अभियुक्तों की पहचान स्थापित नहीं की जा सकी। अदालत ने उन्हें बरी कर दिया। इसलिए, हमारी राय में, तय किए गए कानून के अनुसार, चार व्यक्तियों को डकैती के अपराध के लिए दोषी नहीं ठहराया जा सकता है, जो पांच से कम है जो डकैती करने के लिए एक आवश्यक घटक है। इसके अलावा, उन सभी को भारतीय दंड संहिता की धारा 120 बी के तहत दंडनीय आपराधिक साजिश के अपराध के साथ-साथ नरेश कुमार बनाम हरियाणा राज्य के तहत भी बरी कर दिया गया था।

1997

( एन. एस. शेखावत, जे)

भारतीय दंड संहिता की धारा 412 के तहत दंडनीय डकैती में चोरी की संपत्ति प्राप्त करने के लिए। इसलिए, भारतीय दंड संहिता की धारा 396 के तहत दंडनीय अपराध के लिए अपीलार्थी की दोषसिद्धि कायम नहीं रह सकती है और इसे दरकिनार किया जाना चाहिए।

(14) अपीलार्थियों के विद्वान वकील ने आगे कहा कि तत्काल मामले में प्राथमिकी शुरू में शिकायतकर्ता वर्षा वधावन द्वारा 07.10.1997 पर चार अनजान व्यक्तियों के खिलाफ दर्ज की गई थी। हालाँकि, यह कहा गया है कि पुलिस स्टेशन सिटी डबवाली की पुलिस ने चार अभियुक्तों/अपीलकर्ताओं, अर्थात् नरेश कुमार, अमरजीत, पवन कुमार और विजय कुमार उर्फ विक्की को धारा 392,394,120-बी और 34 आई. पी. सी. पुलिस स्टेशन सिटी डबवाली के तहत <आई. डी. 1 दिनांक 09.09.1998 में <आई. डी. 1 पर गिरफ्तार किया था। उक्त चार अभियुक्तों ने पुलिस स्टेशन सिटी डबवाली में उक्त मामले में अपने प्रकटीकरण बयानों का सामना किया था और उन्हें पुलिस स्टेशन, सेंट्रल, फरीदाबाद भेज दिया गया था, जहाँ वर्तमान मामला दर्ज किया गया था। पी. डब्ल्यू. 8 इंस्पेक्टर राजबीर सिंह, मामले के जांच अधिकारी द्वारा 12.09.1998 पर प्रकटीकरण बयान प्राप्त किए गए और अदालत से पेशी वारंट प्राप्त करने के बाद, लंबे विलंब के बाद अभियुक्तों को औपचारिक रूप से 03.11.1998 पर गिरफ्तार कर लिया गया। रमेश कुमार @राज को 06.11.1998 पर गिरफ्तार किया गया है। एक साल से अधिक के अंतराल के बाद पुलिस स्टेशन सिटी डबवाली में आरोपी द्वारा दिए गए प्रकटीकरण बयानों के अलावा, अपीलार्थियों को वर्तमान अपराध से जोड़ने के लिए कोई अन्य सबूत नहीं है। (15) इसके अलावा, चार अज्ञात व्यक्तियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई और कोई परीक्षण पहचान परेड आयोजित नहीं की गई। इस प्रकार, तत्काल मामले में आरोपी की पहचान साबित करने के लिए कोई सबूत नहीं था। उक्त दलीलों का विद्वान राज्य के वकील ने विरोध किया है, जिन्होंने प्रस्तुत किया कि तीन अभियुक्तों/अपीलार्थियों की विधिवत पहचान पीडब्लू1 वर्षा वधावन और पीडब्लू2 मास्टर पर्नव द्वारा की गई है, जिन्होंने पीडब्लू के रूप में पेश होते हुए अदालत में अभियुक्तों की विधिवत पहचान की। इस प्रकार, अभियुक्तों की पहचान स्थापित हो गई और वे इस न्यायालय द्वारा दोषी ठहराए जाने के लिए उत्तरदायी थे। इस न्यायालय ने पक्षकारों के विद्वान वकील द्वारा की गई उपरोक्त दलीलों पर विचार किया है और पाया है कि अपीलार्थियों के विद्वान वकील द्वारा उठाई गई याचिका इस न्यायालय द्वारा स्वीकार की जाने योग्य है। यह घटना 07.10.1997 पर हुई थी। एफ. आई. आर. शुरू में चार व्यक्तियों के खिलाफ दर्ज की गई थी और यहां तक कि उनके शारीरिक विवरण का उल्लेख भी उक्त एफ. आई. आर. में नहीं किया गया था। ऐसी स्थिति में, जब नवंबर 1998 में अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया था, तो अभियोजन पक्ष के लिए परीक्षण पहचान परेड आयोजित करना अनिवार्य था।

आई. एल. आर. पंजाब और हरियाणा

2022(2)

1998

यहां तक कि शिकायतकर्ता पीडब्लू1 वर्षा वधावन ने भी अपनी जिरह में स्वीकार किया कि उसने आरोपी को उनकी गिरफ्तारी के बाद देखा था और उसने आरोपी को पुलिस स्टेशन में देखा था। अभियुक्तों के चेहरे खुले थे और उनके चेहरे बंद नहीं थे। इसी तरह, पीडब्लू2 मास्टर पर्नव ने स्वीकार किया कि घटना की तारीख के बाद, उन्होंने आरोपी को केवल 06.09.2001 पर पहली बार अदालत में देखा था, यानी घटना के चार साल बाद। नतीजतन, दो गवाहों पीडब्लू1 और पीडब्लू2 मास्टर परनव ने चार साल के अंतराल के बाद पहली बार अदालत में आरोपी की पहचान की थी और इस तरह की पहचान कानून की नजर में अर्थहीन है। यहां तक कि पीडब्लू8 इंस्पेक्टर राजबीर सिंह, जो मामले के जांच अधिकारी थे, ने भी स्वीकार किया कि उन्होंने कभी भी आरोपी की कोई परीक्षण पहचान परेड नहीं की। नतीजतन, गवाहों द्वारा अदालत में घटना के चार साल बाद पहली बार आरोपी की पहचान करना अर्थहीन है।

(16) इस मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने यह निर्णय दिया है

नूरहम्मद और अन्य बनाम कर्नाटक राज्य 2 निम्नानुसार हैः -

दाना यादव बनाम बिहार राज्य के मामले में इस न्यायालय ने परीक्षण पहचान परेड के महत्व को बहुत विस्तार से समझाया है। प्रासंगिक पैरा संख्या 6,7 और 8 इस प्रकार हैः (एस. सी. सी. पीपी. 302-04)। "6. यह भी अच्छी तरह से तय किया गया है कि परीक्षण पहचान परेड आयोजित करने में विफलता, जिसे उचित प्रेषण के साथ आयोजित किया जाना चाहिए, अदालत में पहचान के साक्ष्य को अस्वीकार्य नहीं बनाता है, बल्कि यह कानून में बहुत अधिक स्वीकार्य है। सवाल यह है कि इसका संभावित मूल्य क्या है? आम तौर पर, किसी गवाह द्वारा अदालत में पहली बार किसी अभियुक्त की पहचान पर भरोसा नहीं किया जाना चाहिए, क्योंकि वह अपनी प्रकृति से ही कमजोर चरित्र का है, जब तक कि परीक्षण पहचान परेड में उसकी पिछली पहचान या किसी अन्य साक्ष्य द्वारा इसकी पुष्टि नहीं की जाती है। परीक्षण पहचान परेड का उद्देश्य अवलोकन, समझ, स्मृति, गवाह ने पहले जो देखा है उसे दोहराने की क्षमता, आरोपी की पहचान के साक्ष्य की ताकत या विश्वसनीयता का परीक्षण करना और यह पता लगाना है कि क्या इसका उपयोग अदालत में अपने मुकदमे में आरोपी की पहचान करने वाले गवाह के विश्वसनीय पुष्टिकारक साक्ष्य के रूप में किया जा सकता है। यदि कोई गवाह पहली बार अदालत में आरोपी की पहचान करता है, तो ऐसे अपुष्ट साक्ष्य का संभावित मूल्य हो जाता है

2 2016 (3) एस. सी. सी. 325 नरेश कुमार बनाम हरियाणा राज्य

1999

( एन. एस. शेखावत, जे)

"7......हालाँकि, इस सामान्य नियम के अपवाद हो सकते हैं, उदाहरण के लिए, जब अदालत किसी विशेष गवाह से प्रभावित होती है, जिसकी गवाही पर वह इस तरह या अन्य पुष्टि के बिना सुरक्षित रूप से भरोसा कर सकती है। 8. महाराष्ट्र राज्य बनाम सुखदेव सिंह के मामले में यह निर्धारित किया गया था कि यदि किसी गवाह के पास किसी अभियुक्त की पहचान के बारे में याद रखने का कोई विशेष कारण है, तो उस स्थिति में, मामले को अपवाद के तहत लाया जा सकता है और पहली बार अदालत में किसी अभियुक्त की पहचान के एकमात्र साक्ष्य पर, दोषसिद्धि आधारित हो सकती है। रॉनी के मामले में यह निर्धारित किया गया है कि जहां गवाह को आरोपी के साथ बातचीत करने का मौका मिला था या जहां गवाह को आरोपी की विशिष्ट विशेषताओं को नोटिस करने का अवसर मिला था जो अदालत में उसकी गवाही को आश्वासन देता है, ऐसे गवाह द्वारा पहली बार अदालत में पहचान के साक्ष्य को केवल इसलिए नहीं फेंका जा सकता है क्योंकि कोई परीक्षण पहचान परेड आयोजित नहीं की गई थी। उस मामले में, संबंधित आरोपी ने पहचान करने वाले गवाहों के साथ लगभग 7-8 मिनट तक बात की थी। इन परिस्थितियों में, अभियुक्त की दोषसिद्धि, अदालत में पहली बार पहचान करने वाले गवाहों की शपथ गवाही के आधार पर, जिसकी पुष्टि पिछले आई. एल. आर. पंजाब और हरियाणा द्वारा नहीं की गई थी।

2022(2)

2000

परीक्षण पहचान परेड या किसी अन्य साक्ष्य में पहचान को इस न्यायालय द्वारा बरकरार रखा गया था। राजेश गोविंद जागेशा के मामले में यह निर्धारित किया गया था कि परीक्षण पहचान परेड की अनुपस्थिति घातक नहीं हो सकती है यदि शिकायत में अभियुक्त की संलिप्तता के बारे में पर्याप्त रूप से वर्णित किया गया है या घटना के तुरंत बाद अदालत के दिमाग में कोई संदेह नहीं है और किसी भी स्थिति में, अदालत में पहली बार अभियुक्त की पहचान करने वाले गवाहों का साक्ष्य किसी अन्य साक्ष्य द्वारा पुष्टि किए बिना दोषसिद्धि का आधार बन सकता है और तदनुसार, इस अदालत द्वारा अभियुक्त की दोषसिद्धि को बरकरार रखा गया था। एच. पी. राज्य के मामले में बनाम लेख राज में यह देखा गया था (एस. सी. सी. पृष्ठ 253, पैरा 3 में) किः - "परीक्षण पहचान को विवेक का एक सुरक्षित नियम माना जाता है ताकि आम तौर पर अदालत में गवाहों की शपथ की गवाही की पुष्टि की जा सके कि आरोपी की पहचान उनके लिए अजनबी है। हालाँकि, इस सामान्य नियम के अपवाद हो सकते हैं, जब, उदाहरण के लिए, अदालत किसी विशेष गवाह से प्रभावित होती है, जिसकी गवाही पर वह इस तरह या अन्य पुष्टि के बिना सुरक्षित रूप से भरोसा कर सकती है।

(17) अपीलार्थियों के विद्वान वकील ने आगे प्रस्तुत किया कि घटना 07.10.1997 पर हुई थी जबकि कथित बरामदगी 03.11.1998/06.11.1998 पर अभियुक्त की गिरफ्तारी के बाद की गई थी। यहां तक कि वसूली केवल रमेश कुमार @राज अभियुक्त से की गई थी और वसूली संदिग्ध थी। विद्वत राज्य के वकील ने उक्त निवेदन का विरोध करते हुए कहा कि बरामद किए गए आभूषणों की पहचान राजेश्वर कुमार द्वारा विधिवत की गई थी और अभियोजन पक्ष अदालत द्वारा विश्वास करने योग्य था। एक बार फिर इस न्यायालय को विद्वान राज्य वकील द्वारा की गई दलीलों में कोई सार नहीं मिलता है। एफ. आई. आर. में भी गहने के निर्माण, प्रकार, आकार या संरचना के बारे में पुलिस को कोई विवरण नहीं दिया गया था। इसके अलावा, पी. डब्ल्यू. 3 राजेश्वर कुमार द्वारा यह एक स्वीकृत तथ्य है कि सुपरदारी पर उन्हें जो गहने जारी किए जाते हैं, वे उनके द्वारा अदालत में पेश किए गए गहने से अलग थे। यहां तक कि, पी. डब्ल्यू. 10 ए. एस. आई. बाबू राम की उपस्थिति में बरामदगी की गई, जिन्होंने यह भी स्वीकार किया कि रमेश कुमार उर्फ राजू से आभूषणों की बरामदगी के समय कोई स्वतंत्र गवाह शामिल नहीं हुआ था। इसके अलावा, अभियोजन पक्ष के मामले के अनुसार, गहने को बेचने के लिए रमेश कुमार उर्फ राजू को सौंप दिया गया था और यह बहुत ही असंभव है कि कथित डकैतों ने एक से अधिक नरश कुमार बनाम हरियाणा राज्य की अवधि के बाद भी गहने अपने पास रखे थे।

2001

( एन. एस. शेखावत, जे)

(21) सभी लंबित आवेदनों, यदि कोई हों, का तदनुसार निपटारा किया जाता है। (22) मामला संपत्ति, यदि कोई हो, तो अपील दायर करने की सीमा की अवधि समाप्त होने के बाद नियमों के अनुसार निपटा जा सकता है।

(23) नीचे दिए गए न्यायालय के अभिलेख वापस भेजे जाएँ।

वीरेन जैन